उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-335/71-2-2019-के0जी0एम0यू0-02/2018

लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः-किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सेवानिवृत्त शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को अनुगन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सेवानिवृत्त/दिवंगत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को संशोधित किये जाने के निम्नानुसार आदेश दिये हैं।

2- प्रभावी होने की तिथि- यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी समझे जायेगें।

3- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण/संशोधन-

दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की पेंशन संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308-2016, दिनांक 23.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस-2017/308-2016, दिनांक 18.07.2017 सपठित शासनादेश संख्या-31-2017-सा-3-524/दस-2017/308-2016, दिनांक 04.09.2017 एवं शासनादेश संख्या-14/2018/सा-3/312/दस-2018-308/2016, दिनांक 01-05-2018 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

4- दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त शैक्षणिक गैर- शैक्षणिक कार्मिकों की पेशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण-

(1) परिलब्धियाँ-

पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम-9(21) (1) में परिभाषित है और जिसे शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

वेतन का आशय उ0प्र0 वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन से है, जो दिनांक 01.01.2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है, किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(2) पेंशन-

(I) ऐसे शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

(II) ऐसे शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक जो 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते है, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

(III) शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिको की पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(3) वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु अतिरिक्त पेंशन-

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगीः-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी,

1) मूल पेशन- रू0-10,000/-

2) अतिरिक्त पेंशन रू0-2,000/-

85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ,

3) मूल पेशन- रू0-10,000/-

4) अतिरिक्त पेंशन रू0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन पर समय-समय पर निर्गत मंहगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

(4) अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना-

शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक की पेंशन हेतु, अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-248/दस-2011-322(1)/2011, दिनांक 28-02-2011 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से समाप्त कर दिया गया है।

(5) पारिवारिक पेंशन-

(I) शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू0- 9000/-प्रतिमाह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

(II) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि रू0 9000/-तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(III) वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-4(3)में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

(IV) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा:-

वर्ग-1

(क)- विधवा/विधुर, मृत्युपर्यन्त अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग-2

(ग)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ)- ऐसे माता-पिता जो शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक पर उनके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन मृत्युपर्यन्त मिलेगी। विधवा/विधुर के अतिरिक्त परिवार के वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक के परिवार में ऐसी

Scanned by CamScanner

कोई संतान न हो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों एवं शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियाँ जो शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कार्मिक/पेंशनर, उनकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

(v) संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

(vi) उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महंगाई राहत पर निर्धारित होगी।

(6) सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी

(i) मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :-

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ii) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपादान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को ही ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी। पूर्व की भाँति 60 वर्ष की आयु के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको को ग्रेच्युटी की सविधा अनुमन्य नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

(7) पेंशन का राशिकरण

ऐसे शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक जो 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते है, उन्हें यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भाँति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि की ठीक अगली तिथि से होगा परन्तु ऐसे शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिक जिनको पेंशन की सुविधा अनुमन्य है और जो 60 वर्ष से अधिक आयु पर सेवानिवृत्त होते है, को पेंशन का अधिकतम 20 प्रतिशत अंश का राशिकरण कराने का ही अधिकार होगा।

(8) महँगाई राहत-

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर राज्य सरकार के पेंशनरों को यथा अनुमन्य मंहगाई राहत की दर से समय-समय पर महँगाई राहत देय होगी।

(9)- जिन शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के मामले में दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण भी इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

5- अवशेष भुगतान की प्रक्रिया-

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जुलाई, 2019 जिसका भुगतान अगस्त, 2019 में किया जाना है, से किया जाये। शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-12-2017 तक के देय अवशेष के प्रथम 50 प्रतिशत अंश का भुगतान माह दिसम्बर, 2019 के उपरान्त किया जायेगा तथा अवशेष के द्वितीय 50 प्रतिशत अंश का भुगतान मार्च, 2020 में किया जायेगा। दिनांक 01-01-2018 से 30-06-2019 तक अवशेषों के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगें।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-991/दस-19 दिनांक 17-07-2019 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

D:\Mishra\gaur sir work\mangal go 2018

Scanned by CamScanner

संख्या- 335 (1)/71-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4- कुलपति, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ।
5- कुल सचिव/ वित्त अधिकारी, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 243 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner